न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :- मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 92/2019, पुराना 134/2018

1. राजाराम पुत्र श्री भागाराम जाति सिद्ध साकिन कालुसर तहसील सुरतगढ।
2. सोहनलाल पुत्र श्री चानणराम जाति ब्राहमण साकिन 165 आर.डी.तहसील सूरतगढ।
3. बलवीर पुत्र श्री अन्नाराम जाति सिद्ध साकिन कालुसर तहसील सुरतगढ।
4. महावीर पुत्र श्री गंगासिह जाति राजपुत साकिन 165 आर.डी.तहसील सूरतगढ।
5. राजाराम पुत्र श्री रामकिषन जाति सिद्ध साकिन 165 आर.डी.तहसील सूरतगढ।
6. रामस्वरूप पुत्र श्री रामकिषन जाति सिद्ध साकिन 165 आर.डी.तहसील सूरतगढ।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाष
2. कृश्णलाल

पिसरान नन्दराम अकवाम ब्राहाम्ण साकिन बरूवाला चक 19 ए.पी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर।

3. रामकुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति ब्राहाम्ण साकिन कुम्हारावाला चक तह.रायसिहनगर।
4. कलावती पत्नी श्री बृजलाल पुत्री नन्दराम जाति ब्राहम्ण साकिन ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
5. उदमीराम पुत्र श्री कुषलाराम (फौत)
   - 5/1 रामप्यारी पुत्री श्री उदमीराम जाति ब्राहाम्ण साकिन कुम्हारावाला चक तह.रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।
6. भीखाराम पुत्र नन्दराम (फौत)
   - 6/1 कौश्त्या पत्नी श्री भीखाराम
   - 6/2 मगेंश पुत्र श्री भीखाराम
   - 6/3 सुनील पुत्र श्री भीखाराम

   अेकवाम ब्राहम्ण साकिनान कुम्हारावाला चक तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. सत्यदेव पुत्र श्री नन्दराम (फौत)
   - 7/1 रोशनी पत्नी सत्यदेव पुत्री श्री त्रिलोकराम जाति ब्राहम्ण साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
9. रामेश्वर
10. बृजलाल
11. बनवारी

पिसरान किषोरीलाल अकवाम ब्राहम्ण साकिन कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

12. जगदीश
13. काशीराम
14. मेनपाल
15. कृष्णलाल

पिसरान लिखमाराम अकवाम ब्राहम्ण साकिनान हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

16. पवन
17. शिवकुमार

पिसरान पृथ्वी अकवाम ब्राहम्ण साकिनान हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::- दिनांक :- 26/12/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. ए. 1955

उपस्थित :-1. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता :- प्रार्थीगण न. 1 ता 5

2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :- अप्रार्थी न. 1 व 2
3. श्री राकेश सारस्वत् अधिवक्ता :- अप्रार्थी न. 6/1 ता 6/3, 7/1
4. श्री धनवीर सिह हुन्दल अधिवक्ता :- अप्रार्थी न. 5/1
5. श्री रामप्रताप तिवाड़ी अधिवक्ता :- अप्रार्थी न. 9 ता 17
6. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमश पेज 2 ..... पर

1. पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 ता 7 के नाम से चक 165 आरडी तहसील सूरतगढ़ के खाता न. 5/7 के पत्थर न. 133/53 (47) के किला न. 12, 22 ता 24 में .848 हैक. व पत्थर न. 133/54 (48) के किला न. 1 ता 4 में 1.012 हैक. रकबा कुल तादादी 1. 860 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस चक के पत्थर न. 133/44 (35), 133/36 (36), 133/28 (37), 133/20 (38), 133/12 (39) के प्रत्येक किला न. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता जो कि इस चक के पत्थर न. 133/52 व 133/53 प्रत्येक के किला न. 1-10-11-20-21 में स्वीकृति षुदा रास्ता सोमासर कालूसर डामर रोड़ को जोड़ता है जबकि सोमासर कालूसर डामर रोड़ पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 ता 5 में से होकर गुजरती है पत्थर न. 133/53 के किला न. 21 तक स्वीकृत षुदा रास्ता है जबकि पत्थर न. 133/54 में पक्की डामर रोड़ और स्वीकृत षुदा रास्ता के मध्य रास्ता स्वीकृत नही है। परन्तु उक्त रास्ता काफी वर्शो से चक 165 आरडीएल, कानौर, कालूसर के काष्तकारो द्वारा चला आ रहा है। पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 में पक्की डामर रोड़ सोमासर कालूसर के पष्चिमी पासा जो स्वीकृत षुदा रास्ता तक चला आ रहा था इसे अप्रार्थी न. 1 द्वारा जबरन बन्द कर दिया गया जिसके कारण वहा पर निवास कर रहे काष्तकारो को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि बच्चो को स्कूल जाना, काष्तकारो को खेत में आना - जाना तथा बीमार व्यक्तियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ता को खुलवाने के बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनाक 06.07.2018 को दिया गया जिस पर श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेष दिये जिस पर समस्त पटवारी हल्का से रिपोर्ट व नक्षा जमाबन्दी आदि दस्तावेज लेकर उचित कार्यवाही हेतु यहा भिजवाई गई है। इसकी ऐवज में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डीएलसी की दुगनी राषि देने पर तत्पर है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अनुतोश में चक 165 आरडीएल के पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 में पष्चिमी पासा सोमासर- कालूसर डामर रोड़ तक 0.025 हैक. रास्ता स्वीकृत किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रकरण न 134/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण न 1 ता 8 को जरिये नोटिस तलब किया गया व अप्रार्थी न. 1 व 2, 6/1 ता 6/3, 7/1 की और से राकेष सारस्वत् ने वकालतनामा पेष किया अप्रार्थी न. 3 को रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किये फिर भी हाजिर ना आने से उसके विरूद्व दिनाक 30.08. 2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई तथा इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 04.10.2018 को मौका देखा गया व इसी दिनाक को प्रार्थीगण राजाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेषकर जिसको स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये निशेधाज्ञा पाबन्ध किया गया कि वो अपने खातेदारी रकबा वाके चक 165 आरडीएल के पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 के पष्चिमी पासा में (उतर से दक्षिण लम्बाई) सोमासर कालूसर डामर रोड़ पर आवागमन हेतु चालू रास्ता में प्रार्थना पत्र 251 (क) आरटीए के निस्तारण तक आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन नही करे। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त चालू रास्ता में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन की जाती है ता पटवारी हल्का को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमश पेज 3 ..... पर

आदेशित किया कि वह उक्त रास्ता को मौका पर उपस्थित रहकर खुलवाकर चालू करावे व पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 251 (क) आरटीए पेश अप्रार्थीगण हेतु अन्तिम अवसर दिया गया व दिनांक 22.10.2018 को अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र पेष नही करने पर जबाब बन्द किया गया व अप्रार्थीगण ने उदमीराम के सभी वारिसो को पक्षकार मुकदमा नही बनाने का ऐतराज पेष करने पर उन्हे उदमीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पेष करने का आदेष दिया परन्तु पेष नही करने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 खारिज किया, इसी दौरान दिनांक 30.10.2018 को अप्रार्थीगण के आदेष 8 नियम 1 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हे आगामी पेषी पर जबाब पेष करने के लिये पाबन्ध किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.11.2018 को आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अभिधारी या अभिधारियो का समुह नही है इसलिये धारा 251 के प्रावधानो की पूर्ति नही करता इसलिये प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन कियाा परन्तु आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी.के प्रावधानो की पूर्ति करता है या नही, यह अन्तिम निर्णय मे देखा जावे इसलिये प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2018 को खारिज हो गया व दिनांक 31.01.2019 को जबाब अप्रार्थीगण बन्द किया गया व दिनांक 18.02.2018 को प्रार्थना पत्र विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न 1 ता 3 ने पेष किया परन्तु बाद मे विड्रो प्रार्थना पत्र विड्रो किया गया व पत्रावली वास्ते बहस रखी गयी। इसी दौरान अप्रार्थीगण न 1 ता 3 ने राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी न 3226/2019 पेष की जिसकी पालना मे यह पत्रावली भेजी गयी। निगरानी दिनांक 05.09.2019 को स्वीकार हो गयी व अप्रार्थीगण को दिनांक 04.10.2019 तक इस न्यायालय मे जबाब पेष करने हेतु पाबन्ध किया ।

अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देषो मे जबाब प्रार्थना पत्र पेष कर प्रार्थना पत्र के तथ्यो से इन्कार किया व पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर पुन प्रकरण न .92/2019 पर दर्ज की जाकर अप्रार्थीगण का जबाब प्रार्थना पत्र 251 क षामिल किया गया। दिनांक 18.10.2019 को अप्रार्थी न 9 ता 17 ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेष किया जिसे स्वीकार किया जाकर इन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया व प्रार्थीगण ने संषोधित षीर्शक पेष किया व अप्रार्थीगण न 9 ता 17 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेष किये ।

अप्रार्थीगण न 1 व 2 व 9 ताा 17 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना पत्र 251 के तथ्यो को इन्कार करते हुऐ निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को पहले से वैकल्पिक रास्ता लगता है तथा प्रार्थीगण ने इस चक का नक्षा अधुरा पेष किया है प्रार्थीगण इस चक के अभिधारी नही है तथा इस रास्ता की आवष्यकता ही नही है व पक्की सडक का इस चक के नक्षा मे अंकन नही है पक्की सडक गॉव के रास्ता से जुडती है व प्रत्यके प्रार्थीगण के रकबा को रास्ता लगता है व पत्थर न 133/53 के किला न 1-10-11-20-21 का रास्ता अप्रार्थीगण की पुरानी मौरूसी खातेदारी रकबा मे विधी विरूध दर्ज है, यह रास्ता केवल राजस्व रिकार्ड मे सैटलमेन्ट कर्मियो ने दर्ज किया है जबकि पत्थर न 133/45 के किला न 1-10-11-20.-21 मे जब रास्ता दर्ज व मोका पर चालु है

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमश पेज 4 ..... पर

तो पत्थर न 133/53 के किला न 1-10-11-20-21 मे रास्ता हो ही नही सकता तथा अप्रार्थीगण इस गैर कानुनी तरीके से रिकार्ड मे दर्ज रास्ता को निरस्त कर यह रकबा अप्रार्थीगण न 9 ता 17 व इनके सह खातेदारो के मौरूसी खाते मे जोडने का इस न्यायालय मे दावा पेष कर रखा है।

अप्रार्थीगण न 9 ता 17 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2019 को पेष निवेदन किया कि उनका धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए का दावा इसी न्यायालय मे पत्थर न 133/53 के किला न 1-10-11-20-21 मे सें दो दो बिस्वा रकबा जो गैर कानुनी तरीके से सैटलमेन्ट टीम ने चकबन्दी के दौरान रास्ता के नाम कर दिया है जबकि सैटलमेन्ट टीम को इन्टरी चेन्ज करने का अधिकार नही है व इस रकबा को वापीस अप्रार्थीगण के नाम करने का दावा इस रकबा का इसी न्यायालय मे चल रहा है इसलिये इस दावा की सुनवाई भी इस प्रकरण के साथ संलग्न कर की जावे परन्तु दावा को समेकित किया जाने का प्रार्थना पत्र दावा का अनुतोश व इस प्रार्थना पत्र के अनुतोश अलग अलग होने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2019 को खारीज किया गया व प्रार्थना पत्र की अतिम बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 ता 4 में से पक्की सडक चलती है प्रार्थीगण को रास्ता नही है पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 में से पष्चिमी पासा पर दो बिस्वा रास्ता मजुंर करने से प्रार्थीगण को उनके खेतों में आना जान जुड जायेगा। इस रास्ता की प्रार्थीगण को अत्यन्त आवष्यकता है केवल 50-60 फुट की दुरी से पक्की सडक जुड जावेगी। अनेकों बार पटवारी हल्का की रिपोर्ट आ चुकी है व मौका निरीक्षण भी किया जा चुका है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण को अपना रकबा काष्त करने के लिए अन्य रास्ता नही है। इसलिए रास्ता स्वीकार किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र पेषकर निवेदन किया कि पक्की सडक नक्षा में दर्ज नही है व निवेदन किया कि प्रार्थी न. 3 ने इसी चक के पत्थर न. 133/54 के किला न. 6 ता 15 के रकबा को स्मालपेच में आवटन करवाने के समय इन्ही पटवारी हल्काव तहसीलदार की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति आवटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ की पत्रावली न. 01/2016 राजेन्द-बलवीर पिसरान अनाराम में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2016 में नक्षा में सडक गांव से गावों के रास्ता को जोडती है। प्रार्थी न. 1 ता 6 ने प्रार्थना पत्र में अपनी भूमि कहां है दर्ज नहीं किया अब जमाबन्दी जो प्रार्थीगण ने पेष की है उसके मुताबिक प्रार्थी न. 1 की भूमि पत्थर नम्बर 133/28(37) के किला न. 21 ता 25 में है जो इसी पत्थर के इन्ही किलो में से चालू रास्ता व पत्थर न. 133/27 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 23 में रकबा को इसी पत्थर से चिपता पत्थर न. 133/36 के किला न. 21 ता 25 में से चालू रास्ता को जुडता है तथा प्रार्थी न. 4 महावीर की पत्नी विमल कवर का सयूक्त खाता का रकबा पत्थर न. 133/33 के किला न. 11, 18 ता 25 व पत्थर न. 133/34 के किला न. 2 ता 24 व पत्थर न. 133/28 के किला न. 5-6 का रकबा भी, पत्थर न. 133/34 के किला न. 21 ता 25 में चालू व स्वीकृत षुदा रास्ता से जुडता है व प्रार्थी न. 2 सोहनलाल का सयुक्त खाता का पत्थर न. 133/35 के किला न. 24-25 व पत्थर न. 133/44 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23/2 व

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

क्रमश पेज 5 ..... पर

पत्थर न. 133/36 के किला न. 1-2, 4 ता 7, 14 ता 17, 24-25 व पत्थर न. 133/37 के किला न. 5-6 व पत्थर न. 133/45 के किला न. 1 ता 3, 9-10/2 का रकबा पत्थर न. 133/36 के किला न. 24-25 व पत्थर न. 133/44 के किला न. 21 ता 25 व पत्थर न. 133/45 के किला न. 1-10-11-20-21 में से 2-2 बिस्वा चौड़ा स्वीकृत षुदा चालू रास्ता से जुड़ता है तथा पत्थर न. 133/11, 133/12, 133/13, 133/14 के किला न. 1-10-11-20-21 में गॉव से गॉवो का रास्ता है जो गॉव से गॉव को जोड़ता है व खेतो के रास्ता को जोड़ता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2017 (1) पेज 423, आरआरटी 2014 (1) पेज 40, आरआरटी 2016 पेज 649 व आरआरटी 2016 (नचण) पेज 597 पेष की।

अधिवक्ता अप्रार्थी न. 9 ता 17 ने निवेदन किया कि जब पत्थर न. 133/53 के किला न. 1-10-11-20-21 में रास्ता सैटलमेन्ट कर्मियों की गलती से दर्ज है चकबन्दी में प्रत्येक दो मुरब्बो के बाद रास्ता खेतो का निकलना है जब पत्थर न. 133/45 के किला न. 1-10-11-20-21 में रास्ता स्वीकृत है तो पत्थर न. 133/53 मे से रास्ता नही हो सकता तथा आज तक पत्थर न. 133/53 में रास्ता चला ही नही है पटवारी हल्का व तहसीलदार की काउन्टर रिपोर्ट निराधार है हमारा रकबा 55 से पहले का खातेदारी है इस रास्ता का ना तहसीलदार साहब ने मौका निरीक्षण किया व ना ही इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पक्षकारो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि ही प्रार्थना पत्र में नही दर्षाई है। प्रकरण सुखाचार का बनता है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिक आवष्यकता नही है प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीए के प्रावधान नियम 69 की पालना नही करता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी न. 5/1 जो उदमीराम को वारिस दर्षाकर रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी न. 1 ता 17 ने इसका ऐतराज किया व उदमीराम का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के अभाव में वह स्वीकृति नही दे सकती इसलिये सहमति निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने चक 165 आरडीएल के पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की मांग ही है परन्तु प्रार्थी न. 1 व 2 स्वयं के नाम के रकबा व प्रार्थी न. 4 की पत्नी के नाम के रकबा को पहले से ही रास्ता लगता है तथा प्रार्थना पत्र में स्वीकृत षुदा पत्थर न. 133/44, 133/36, 133/28, 133/20, 133/12 प्रत्येक मुरब्बा के किला न. 21 ता 25 का रास्ता गॉव से गॉव जोड़ने वाले रास्ता को जोड़ता है तथा पक्की सड़क किन - किन पत्थर नम्बरान के किन - किन रास्ता से कहा - कहा जुड़ती है, के बाबत भी प्रार्थीगण ने पूरा नक्षा पेष नही किया केवल पत्थर न. 133/54 के किला न. 1 ता 4 में से पक्की सड़क पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नही माना जा सकता क्योकि पूर्व में यही सड़क इसी पत्थर न. 133/54 के किला न. 6 ता 10 में दर्ज दर्षा रखी है। इसलिये पक्की सड़क का अधिकृत साक्ष्य पेष नही किया जिससे यह साबित हो कि यह सड़क इस चक के किसी भी स्वीकृत षुदा रास्ता से ना जुड़ती हो। धारा 251 क आरटीए में उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमश पेज 6 ..... पर

1. यह आवश्यकता आतमतिंक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है।
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विषिश्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हो वहा रास्ता मन्जूंर किया जा सकता है।

किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीगण को अपने रकबा को रास्ता तो लगता है परन्तु सुविधा जनक उपयोग हेतु रास्ता चाहते है तथा पक्की सड़क भी नक्षा में दर्ज नही है तथा प्रार्थीगण को इस रास्ता की आत्यतिंक आवष्यकता कतई नही है प्रार्थी न. 3-5-6 ने तो अपना रकबा कहा है, दर्ज भी नही किया तथा रास्ता किस रकबा को चाहते है, मांग भी नही की है प्रार्थीगण ने ऐसा कोई आधार पेष नही किया जिससे प्रार्थीगण को अपने रकबा में पहुचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व हो। अप्रार्थी न. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर भी इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। धारा 251 क के प्रावधानो व कानूनी नजीर के अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्धं होने पर नया रास्ता सुविधाजनक उपयोग हेतु मन्जूंर नही किया जा सकता तथा प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिंक आवष्यकता नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आरटीए निरस्त किया जाना उचित है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आरटीए आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोजकुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: